

न्यायालय:-शरद जोशी न्यायिक मजिस्ट्रेट,प्रथम श्रेणी अंजड
जिला-बडवानी (म0प्र0)

आप.प्रक.क्रमांक 451 / 2014

संस्थित दिनांक-30.06.2014

म.प्र. राज्य द्वारा-

आरक्षी केन्द्र ठीकरी, जिला बडवानी

-अभियोगी

वि रु द्ध

श्याम पिता देवीराम यादव,
उम्र 32 वर्ष, निवासी यादव मोहल्ला ठीकरी,
थाना ठीकरी, जिला-बडवानी म0प्र0

-अभियुक्त

राज्य तर्फे एडीपीओ

- श्री अकरम मंसूरी ।

अभियुक्त तर्फे अभिभाषक

- श्री विशाल कर्मा ।

-: नि र्ण य :-

(आज दिनांक 22.03.2018 को घोषित)

अभियुक्त के द्वारा दिनांक 02.06.2014 को समय रात्रि 08:30 बजे स्थान-ग्राम कुआं एवं काकरिया के मध्य रोड पुलिस के पास में वाहन मोटरसाईकिल क्रमांक एम0पी0 46 एम.जी. 0658 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर अशोक व राजेन्द्र का मानवजीवन संकटापन्न, किया,उक्त वाहन को उपेक्षापूर्वक ढंग अथवा उतावलेपन से चलाकर राजेन्द्र को टक्कर मारकर घोर उपहति कारित की तथा उक्त वाहन को उपेक्षापूर्वक ढंग से चलाकर अशोक को टक्कर मारी जिससे जीवन संकटापन होना संभाव्य बनाकर उसकी ऐसी मृत्यु कारित की जो कि, आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आता है, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 279,338,304-ए भा.द.सं. के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में आता है।

2- अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 02.06.2014 को समय 08:30 बजे स्थान ग्राम कुआं एवं काकरिया के किराणा सामान ग्राम कुआं से लेकर पैदल-पैदल आ रहे थे कि, ग्राम कुआ तरफ से वाहन मोटरसाईकिल क्रमांक एम0पी0 46 एम.जी. 0658 के चालक ने तेज गति व लापरवाही पूर्वक चलाकर अशोक एवं राजेन्द्र को टक्कर लगने से दोनो गिर गये। अशोक को सीने व कंधे पर चोट लगी,राजेन्द्र को शरीर में अंदरूनी चोट लगी। मोटरसाईकिल चालक वहां से भाग गया। उसने दोनो को उठाकर मोटरसाईकिल पर बैठाकर शासकीय अस्पताल ठीकरी ईलाज हेतु भर्ती किया था,वहां से दोनो को उचित ईलाज हेतु जिला अस्पताल बडवानी

रैफर कर दिया। ईलाज के दौरान घायल अशोक की मृत्यु हो गई थी। मर्ग सदर की संपूर्ण जांच से प्रथम दृष्टया अपराध क्रं० 137/2014 अंतर्गत धारा 279,338,304-ए भा.द.सं. का अपराध मोटरसाईकिल क्रमांक एम0पी0 46 एम.जी. 0658 के चालक द्वारा पाया जाने से प्रकरण कायम कर विवेचना में लिया गया। फरियादी ने इस घटना की रिपोर्ट थाना ठीकरी पर करायी गयी। नक्शा मौका बनाया गया। मर्ग जांच की गयी। पी0एम0 रिपोर्ट बनायी गयी। जप्ती पंचनामा बनाया गया। अभियुक्त को धारा 41 क का सचूना पत्र दिया किया गया। साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये एवं सम्पूर्ण विवेचना के उपरान्त न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

3— अभियुक्त पर भारतीय दंड संहिता की धारा 279,338,304-ए का अपराध विवरण पूर्व पीठासीन अधिकारी (श्रीमती वंदना राज पाण्डेय) द्वारा लगाये जाने पर अभियुक्त ने अपराध से इंकार कर विचारण चाहा, उसका अभिवाक लेख किया गया। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा के अंतर्गत किये गये परीक्षण में अभियुक्त का कथन है कि, वह निर्दोष है उसे झूठा फसाया गया है, किन्तु बचाव में किसी भी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया गया।

4— प्रकरण में विचारणीय प्रश्न यह है कि:—

1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 02.06.2014 को समय 08:30 बजे स्थान—ग्राम कुआं एवं काकरिया के मध्य रोड पुलिया के पास में वाहन मोटरसाईकिल क्रमांक एम0पी0 46 एम.जी. 0658 को उपेक्षापूर्वक अथवा उतावलेपन ढंग से चलाया जिससे अशोक एवं राजेन्द्र का मानवजीवन संकटापन्न हो गया?
2. क्या अभियुक्त ने उक्त दिनांक,समय व स्थान पर उक्त वाहन को उपेक्षापूर्वक ढंग अथवा उतावलेपन से चलाकर आहत राजेन्द्र को टक्कर मारकर घोर उपहति कारित की?
3. क्या अभियुक्त ने उक्त दिनांक,समय व स्थान पर उक्त वाहन को उपेक्षापूर्वक ढंग अथवा उतावलेपन से चलाकर अशोक को टक्कर मारी जिससे जीवन संकटापन्न होना संभाव्य बनाकर उसकी ऐसी मृत्यु कारित हुई,जो कि आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आता है?

विचारणीय बिन्दु पर सकारण निष्कर्ष —

5— उपरोक्त तीनों ही विचारणीय प्रश्न परस्पर संबंधित होने के कारण उन पर पृथक-पृथक विचार किये जाने पर विभिन्न प्रकार की पुनरावृत्तियां होना स्वाभाविक एवं संभावित है, और इसलिये पुनरावृत्तियों के निवारणार्थ इन तीनों ही विचारणीय प्रश्नों

पर एक साथ विचार किया जा रहा है।

6— अभियोजन की ओर से अपने पक्ष समर्थन में कैलाश (अ.सा.1),रुखडिया(अ.सा.2),रामसिंह (अ.सा.3),दिनेश यादव (अ.सा.4),डॉ० प्रजानंद मंडलोई (अ.सा.5) डॉ० अवधेश स्वर्णकार (अ.सा.6) एवं बलीराम पाटीदार (अ.सा.7) एवं अशोक वर्मा (अ.सा.8) के कथन लेखबद्ध कराए गये हैं, जबकि अभियुक्त की ओर से अपनी प्रतिरक्षा में किसी साक्षी के कथन नहीं कराये गये हैं।

7— सर्व प्रथम यह विचार किया जाना है कि, क्या घटना दिनांक को राजेन्द्र को घटना के फलस्वरूप गंभीर चोटें आयी थी, एवं अशोक की मृत्यु दुर्घटना के परिणाम स्वरूप हुयी:— इस संबंध में विचार करने पर साक्षी कैलाश (अ.सा.1) ने बताया है कि, अशोक की दुर्घटना में मृत्यु हो गयी थी एवं राजेन्द्र को चोटें आयी थी। इसी तथ्य का समर्थन साक्षी रुखडिया (अ.सा.2), रामसिंह (अ.सा.3) के द्वारा भी किया गया है। डॉ० प्रजानंद मंडलोई (अ.सा.5) ने अपने कथनों में बताया है कि, वह दिनांक 02.06.2014 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र ठीकरी में मेडिकल ऑफिसर के पद पर पदस्थ थे। उक्त दिनांक को केकडिया द्वारा आहत अशोक एवं राजेन्द्र को दुर्घटना में चोटें आने से ईलाज के लिए लाया गया था, जिनकी प्री.एम.एल.सी. उनके द्वारा की गई थी। उनके द्वारा आहत अशोक का चिकित्सकीय परीक्षण करने पर चोटें होना पायी थी। आहत को बाहरी चोट नहीं थी, छाती पर दबाने पर दर्द की शिकायत थी। आहत की हालत गंभीर थी, इसलिए उसे आगामी चिकित्सा हेतु उसके द्वारा जिला चिकित्सालय बडवानी रेफर किया गया।

8— साक्षी ने अपने कथनों में आगे यह भी बताया है कि, आहत राजेन्द्र का मेडिकल परीक्षण करने पर निम्नलिखित चोटें होना पाई थी। आहत के गले पर सूजन एवं छाती पर सामने सूजन एवं दर्द था, इसलिए उसे आगामी चिकित्सा हेतु उसके द्वारा जिला चिकित्सालय बडवानी रेफर किया गया। उनके द्वारा दी गई प्री.एम.एल.सी. रिपोर्ट प्र०पी० 6 है, जिसके ए से ए भाग पर उनके हस्ताक्षर हैं। आहत राजेन्द्र की जिला चिकित्सालय बडवानी से उसे एक्सरे प्लेट दिनांक 23.06.2014 को प्राप्त हुआ था। उनके द्वारा उक्त एक्सरे का परीक्षण करने पर उसने पाया कि, उसकी रीड की हड्डी डी 4 एवं डी 5 में अस्थिभंग होना पाया था।

9— इसी प्रकार चिकित्सक साक्षी डॉ० अवधेश स्वर्णकार (अ.सा.6) ने अपने कथनों में बताया है कि, वह दिनांक 03.06.2014 को जिला चिकित्सालय बडवानी में मेडिकल ऑफिसर के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसने आहत अशोक पिता रुखडिया का शव परीक्षण करने पर निम्नलिखित चोटें होना पाई थी। बाह्य परीक्षण करने पर मृतक के बाये कुल्हे में अस्थिभंग था, मृतक की पसली में अस्थिभंग होना पाया था। मृतक के शव का आंतरिक परीक्षण करने पर मृतक की यकृत में 3 x 1 1/2 इंच का घाट होना पाया था, जिससे उसके पूरे पेट में रक्त भरा हुआ था। उनके अभिमत में मृतक अशोक की मृत्यु उसके मार्मिक अंगों पर चोट (यकृत) तथा उसके हुए अत्यधिक रक्त स्राव के कारण मृत्यु हुई थी। मृत्यु शव परीक्षण के 24 घंटे के भीतर की थी। उसके द्वारा दिया गया शव परीक्षण प्रतिवेदन प्र०पी० 7 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

10— उक्त दोनों ही चिकित्सकीय साक्षियों के कथनों को बचाव पक्ष द्वारा कोई चुनौती नहीं दी गयी है। अतः यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित है कि, घटना दिनांक को दुर्घटना के फलस्वरूप अशोक पिता रूखडिया की मृत्यु हुयी थी एवं राजेन्द्र पिता रामसिंह को गंभीर स्वरूप की चोटें आयी थी।

11— अब यह विचार किया जाना है कि, क्या अभियुक्त के द्वारा उपेक्षा व लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाये जाने के परिणाम स्वरूप आहत राजेन्द्र को गंभीर उपहति एवं अशोक की मृत्यु कारित हुयी:— इस संबंध में विचार करने पर साक्षी कैलाश (अ.सा.1), रूखडिया (अ.सा.2), रामसिंह (अ.सा.3) को प्रस्तुत किया गया है, किन्तु उक्त तीनों ही साक्षीगण ने अभियुक्त के द्वारा वाहन चलाये जाने के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं।

12— साक्षी कैलाश (अ.सा.1) ने अपने प्रतिपरीक्षण के पद क्रं 5 में यह बताया है कि, वह दुर्घटना होने के लगभग आधे घंटे के बाद घटना स्थल पर पहुंचा था। साक्षी रूखडिया (अ.सा.2) को दुर्घटना की बात कैलाश ने बतायी थी। अतः साक्षी रूखडिया (अ.सा.2) के कथन अनुश्रुत साक्ष्य की श्रेणी में आते हैं। इसी प्रकार साक्षी रामसिंह (अ.सा.3) ने भी अपने कथन में घटना की बात कैलाश के द्वारा बताये जाना व्यक्त किया है। उक्त साक्षी के कथन भी अनुश्रुत साक्ष्य की श्रेणी में आते हैं।

13— साक्षी दिनेश (अ.सा.4) ने दुर्घटना में संलग्न कथित मोटरसाईकिल का मालिक होना बताया है, यद्यपि साक्षी ने अभियुक्त के द्वारा उसे वाहन मांग कर ले जाने वाली बात व पुलिस बयान प्र०पी० 5 देने से इंकार किया है।

14— साक्षी अशोक वर्मा (अ.सा.8) ने कथित जप्तशुदा मोटरसाईकिल का यांत्रिकीय परीक्षण किया है। जिसमें कोई यांत्रिकीय त्रुटि नहीं होना पायी थी। साक्षी बलिराम पाटीदार (अ.सा.7) के द्वारा प्रकरण का अनुसंधान किया गया है, व प्र०सू० प्रतिवेदन प्र०पी० 8 दर्ज किया गया। घटना स्थल का नक्शामौका प्र०पी० 2 बनाया गया है, एवं अभियुक्त श्याम से मोटरसाईकिल जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र०पी० 9 व गिरफ्तारी पंचनामा प्र० पी० 10 बनाये हैं।

15— चूंकि किसी भी प्रत्यक्ष दर्शी साक्षी ने अभियुक्त को वाहन चलाते हुये नहीं देखा है एवं न ही उनके समक्ष दुर्घटना हुयी है। अतः ऐसी स्थिति में अभियुक्त के द्वारा उपेक्षापूर्वक, लापरवाहीपूर्वक व तेजी से वाहन चलाये जाने के संबंध में कोई भी प्रत्यक्ष साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है।

16— यांत्रिकीय परीक्षण एवं अनुसंधानकर्ता अधिकारी के कथन प्रत्यक्ष साक्ष्य के अभाव में दोषसिद्धि के निष्कर्ष के आधार नहीं हो सकते हैं, और इस कारण अभियोजन का प्रकरण पुष्टि योग्य नहीं है।

17— उक्त साक्षीगण के कथनों से यह दर्शित है कि, उन्होंने अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया है। चक्षुदर्शी साक्षियों के साक्ष्य के अभाव में अभियुक्त को दोषारोपित नहीं किया जा सकता है। अतः उक्त साक्षियों के कथनों से यह स्पष्ट है कि, मृतक अशोक की मृत्यु व राजेन्द्र को गंभीर उपहति अभियुक्त श्याम के द्वारा उपेक्षा व लापरवाहीपूर्वक से वाहन चलाये जाने का प्रत्यक्ष परिणाम नहीं है। ऐसी स्थिति में

अभियुक्त के विरुद्ध दोषसिद्धि के संबंध में कोई भी निष्कर्ष अभिलिखित नहीं किया जा सकता है, और उसे उक्त अपराध या किसी अन्य अपराध के लिये दोषसिद्ध भी नहीं ठहराया जा सकता है। इस संबंध में **न्यायदृष्टांत जवाहरलाल विरुद्ध म०प्र० राज्य 238 एम०पी० विकली नोट्स 1994-(II)** तथा **न्यायदृष्टांत राम दयाल विरुद्ध म०प्र० राज्य 1993 एम०पी०एल०जे०** अवलोकनीय है। उक्त न्यायदृष्टांतों में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि, यदि वाहन चालक की पहचान सुनिश्चित नहीं होती है, तब दोषसिद्धि अभिलिखित नहीं की जा सकती है।

18- उपरोक्त समग्र विवेचना व उभय पक्षों के तर्क से यह प्रमाणित नहीं होता है कि, अभियुक्त श्याम ने दिनांक 02.06.2014 को समय 08:30 बजे स्थान-ग्राम कुआं एवं काकरिया के मध्य रोड पुलिया के पास में वाहन मोटरसाईकिल क्रमांक एम०पी० 46 एम.जी. 0658 को उपेक्षापूर्वक अथवा उतावलेपन ढंग से चलाया जिससे अशोक एवं राजेन्द्र का मानवजीवन संकटापन्न हो गया, उपेक्षापूर्वक ढंग अथवा उतावलेपन से चलाकर आहत राजेन्द्र को टक्कर मारकर घोर उपहति कारित की, उपेक्षापूर्वक ढंग अथवा उतावलेपन से चलाकर अशोक को टक्कर मारी जिससे जीवन संकटापन्न होना संभाव्य बनाकर उसकी ऐसी मृत्यु कारित हुई, जो कि आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आता है।

19- उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के आलोक में अभियुक्त के विरुद्ध निर्णय के चरण क्र० 4 में उल्लेखित विचारणीय प्रश्न को अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतएव अभियुक्त को धारा 279, 338, 304-ए भा०द०सं० के अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।

20- अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

21- अभियुक्त के अभिरक्षा में रहने के संबंध में द०प्र०सं० की धारा 428 के तहत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

22- जप्तशुदा सम्पत्ति वाहन मोटरसाईकिल क्रमांक एम०पी० 46 एम.जी. 0658 पूर्व से पंजीकृत स्वामी दिनेश पिता भगवान यादव की सुपुर्दगी पर है उक्त सुपुर्दगीनामा अपील अवधी पश्चात् भारमुक्त हो। अपील होने पर माननीय अपील न्यायालय के निर्देशानुसार कार्यवाही की जाए।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित किया गया।

सही / -

सही / -

(शरद जोशी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी
अंजड़ जिला बड़वानी म.प्र.

(शरद जोशी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी
अंजड़ जिला बड़वानी म.प्र.

